

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस डी ओ)सिणधरी

तहसील अधिकारी श्री जगदीश सिंह साकिन आर ए एस

राजस्व आवेदन संख्या 37 / 2025

प्रार्थी	बकाम	विप्राथीगण
धर्माराम पुत्र रणसरोकाराम चारक जालि		1 धर्माराम पुत्र रणसरोकाराम चारक
कृष्ण (प्रजापति) साकिन गालानाडी		2 कृष्णाराम पुत्र रणसरोकाराम चारक
तहसील सिणधरी जिला बालीतरा		3 ईश्वराराम पुत्र भादाराम चारक
		4 बगवाराम पुत्र भादाराम चारक
		5 कृष्णाराम पुत्र भादाराम चारक
		6 मंगलाराम पुत्र भादाराम चारक जालियान
		कुम्हार (प्रजापति) साकिन गालानाडी
		तहसील सिणधरी जिला बालीतरा
		7 ग्राम पंचायत अरणियाली महेंवान
		8 तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री अर्जुनराम प्रजापत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्राथीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक -25.04.2025

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी में खसरा संख्या 213/3 रकबा 0.9789 हैक्टेयर खातेदारी का आया हुआ है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी में खसरा संख्या 213/3 रकबा 0.9789 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी में खसरा संख्या 213/3 रकबा 0.9789 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी में खसरा संख्या 213/3 रकबा 0.9789 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी में खसरा संख्या 213/3 रकबा 0.9789 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामिली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी में खसरा संख्या 213/3 रकबा 0.9789 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
आदेश आज दिनांक 25.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी